फाइल नं0-71-1002/1/2022

100/2022/I/216625/2022

प्रेषक,

दुर्गा शक्ति नागपाल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 22 सितम्बर, 2022

**विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर, कन्नौज, प्रयागराज, मेरठ, आगरा से सम्बद्ध नर्सिंग कालेज एवं कानपुर में कालेज ऑफ नर्सिंग के संचालन हेतु मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद में उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चि0शि0 के पत्र संख्या-एम0ई0-1/2022/2704, दिनांक 25.08.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर, कन्नौज, प्रयागराज, मेरठ, आगरा एवं कानपुर से सम्बद्ध नर्सिंग कालेज एवं कानपुर में कॉलेज ऑफ नर्सिंग के संचालन हेतु उपकरणों एवं अन्य की संलग्न सूची अनुमोदित करते हुए रू0 9,84,64,944.00 (रू0 नौ करोड़ चौरासी लाख चौसठ हजार नौ सौ चवालिस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत 28-नर्सिंग कालेजों की स्थापना में मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 7,50,00,000.00 लाख (रू0 सात करोड़ पचास लाख मात्र) की निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

**<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>**

1- 07 राजकीय मेडिकल कालेज यथा-पैरामेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर, कन्नौज, प्रयागराज, मेरठ, आगरा से सम्बद्ध नर्सिंग कालेज एवं कानपुर में कालेज ऑफ नर्सिंग के संचालन हेतु उपकरण, फर्नीचर, पुस्तकें , कंज्यूमेबिल्स आदि के क्रय हेतु निदेशक, डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को अधिकृत किया जाता है। उपकरणों एवं अन्य इत्यादि की क्रय प्रकिया संस्थान द्वारा एकीकृत रूप से उन्हीं नियमों व शर्तों/प्रतिबन्धों के द्वारा की जायेगी, जिस प्रकार से डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान हेतु सम्पन्न की जाती है।

2- आवश्यकतानुसार 07 संचालित नर्सिंग कालेजों हेतु भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार एन0एच0एम0 के माध्यम से भी स्वीकृत होने वाले एवं इन नर्सिंग कालेजों में स्किल लैब एवं इसके सापेक्ष उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों का गैप एनालसिस करते हुए गुणवत्तापूर्ण उपकरणों एवं सामग्रियों का क्रय करेंगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- क्रय किये गये उपकरणों/सामग्रियों को सम्बन्धित नर्सिंग कॉलेजों को संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर वरीयता के अनुसार किया जायेगा।

5- संलग्न सूची में उल्लिखित उपकरणों इत्यादि का क्रय अनुमोदित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही किया जायेगा।

6- सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल (प्रोक्योमेण्ट/ऑफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेंट/गर्वमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल से सम्बन्धित समय-समय पर निर्गत सुसंगत अद्यतन शासनादेशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- निदेशक/वित्त नियंत्रक, डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जायेगा।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जाएगा, जब उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

11- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97 (ल030)/2016, दिनॉक 23.08.2017 में दिए गए दिशा.निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी निदेशक/वित्त अधिकारी की होगी।

14- निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा इस मद में प्राविधानित बजट को निदेशक, डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा। सम्बन्धित निदेशक/प्रधानाचार्य से संतोष जनक प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा केन्द्रीकृत रूप से सम्बन्धित फर्म को भुगतान किया जायेगा।

15- राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु उपकरण/संयत्र मद में प्राविधानित सीमा तक ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में प्राविधानित धनराशि से अधिक का आहरण/व्यय नहीं किया जायेगा।

16- प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एंव विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक/वित्त अधिकारी की होगी।

17- वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एंव वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

18- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपकरणों का क्रय किये जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाए। प्राइज जस्टिफिकेशन सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की जिम्मेदारी निदेशक/वित्त अधिकारी की होगी।

19- प्रोपाइटरी श्रेणी के उपकरण के शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अंतर आना स्वाभाविक है। अत: इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।

20- संलग्न सूची में उल्लिखित उपकरणों इत्यादि का क्रय चालू वित्तीय वर्ष् 2022-23 में ही सुनिश्चित किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में क्रय किये जाने की दशा में पुन: सूची पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

21- वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

22- उपकरणों के क्रय के क्रय प्रक्रिया हेतु निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा के वित्त नियंत्रक एवं सम्बन्धित क्रय प्रभारी द्वारा स्पेसिफिकेशन इत्यादि एवं क्रय प्रक्रिया सुनिश्चित किये जाने हेतु संस्थान को सहयोग प्रदान किया जायेगा।

23- उपकरणो/फर्नीचर/कंज्यूमेबिल्स इत्यादि के क्रय हेतु आवश्यकतानुसार जपाइगो से सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

24- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्रांक-SPMU/नर्सिंग सेल/41/2022-23/4180, दिनांक 12.09.2022 द्वारा मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध कालेज ऑफ नर्सिंग में स्किल लैब की स्थापना हेतु रू0 79.00 लाख प्रति की दर से क्रय किये जाने हेतु पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,50,00,000 ( रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आयव्ययक मे-ं **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031052800 नर्सिंग कालेजों की स्थापना **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा उपकरण और संयंत्र/ के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-अनुभाग (व्ययक-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक -07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

**संलग्नक-यथोक्त।**

**भवदीय,**

**( दुर्गा शक्ति नागपाल )**
विशेष सचिव।

**संख्या-उपरोक्त तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 लखनऊ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, डॉ0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. निदेशक, पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी।
7. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर/कन्नौज/प्रयागराज/मेरठ/आगरा।
8. प्रधानाचार्य, कालेज ऑफ नर्सिंग, कानपुर।
9. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, झांसी/गोरखपुर/कन्नौज/प्रयागराज/मेरठ/आगरा/कानपुर।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी/गोरखपुर/कन्नौज/प्रयागराज/मेरठ/आगरा/कानपुर।
11. जे0डी0एम0एम0, डॉ0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ।
12. श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
14. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।
15. जपाइगो को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस सम्बन्ध में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह),
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-

राजकीय मेडिकल कालेज ,झांसी-

| IV: COMPUTER LABORATORY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **S.No.** | **Items** | | | |
| | | **Requirement** | **Final Gap (6-5)** | **Approximate Unit wise Cost ( In Rs.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Computers (PC) with latest configuration and shluld be on Local Area Network | 5 | 60000 | 300000 |
| 2 | Laser Printer | 5 | 20000 | 100000 |
| **TOTAL** | | **10** | **80000** | **400000** |

राजकीय मेडिकल कालेज ,प्रयागराज ,कन्नौज ,गोरखपुर

| **03- GMC Prayagraj, Kannauj, Gorakhpur College of Nursing** | | | |
|---|---|---|---|
| **Summary of all Labs** | | | |
| **S.No.** | **Name of the Lab** | **Gap** | **Approx. cost** |
| 1 | NURSING FOUNDATION & MEDICAL SURGICAL NURSING LABORATORY (Including Advance Nursing Lab | 538 | 2027933 |
| 2 | PRE-CLINICAL SCIENCES LABORATORY | 53 | 159150 |
| 3 | MIDWIFERY & CHILD HEALTH NURSING LABORATORY | 945 | 4141435 |
| 4 | COMMUNITY HEALTH NURSING INCLUDING NUTRITION LAB | 38 | 158845 |
| 5 | COMPUTER LABORATORY | 20 | 1000000 |
| | **TOTAL** | **1594** | **7487363** |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

राजकीय मेडिकल कालेज , मेरठ-

| COLLEGE OF NURSING, LLRM MEDICAL COLLEGE, MEERUT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NUTRITION LAB** | | | | |
| **S.NO** | **ITEMS** | **Requirement** | **Approximate Unit wise Cost ( In Rs.)** | **Approx. Total cost ( In Rs.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Gas stove with cylinder/pipeline tubing | 4 | 10000 | 40000 |
| 2 | Gas lighter | 5 | 120 | 600 |
| 3 | Pressure cooker of 1kg | 6 | 1500 | 9000 |
| 4 | Pressure cooker of 2kg | 6 | 2000 | 12000 |
| 5 | Cutlery set | 2 | 2000 | 4000 |
| 6 | Ladles(wooden spoons/spatulas) | 12 | 83 | 996 |
| 7 | Juice squeezer | 1 | 2000 | 2000 |
| 8 | Serving spoons | 6 | 600 | 3600 |
| 9 | Table spoons | 12 | 150 | 1800 |
| 10 | Dessert spoons | 12 | 67 | 804 |
| 11 | Bowls (wati) | 25 | 60 | 1500 |
| 12 | Soup bowls | 32 | 83 | 2656 |
| 13 | Forks | 36 | 50 | 1800 |
| 14 | Sieve | 2 | 200 | 400 |
| 15 | Tongs | 6 | 600 | 3600 |

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Knives | 6 | 100 | 600 |
| 17 | Peeler | 6 | 75 | 450 |
| 18 | Vegetable cutters | 6 | 200 | 1200 |
| 19 | Vegetable cutting plate | 6 | 230 | 1380 |
| 20 | Flask | 2 | 500 | 1000 |
| 21 | Vessel holders (chimta) | 6 | 150 | 900 |
| 22 | Mixer with accessories | 1 | 5000 | 5000 |
| 23 | Glasses for drinking water (steel) | 18 | 50 | 900 |
| 24 | Glasses for drinking water (glass) | 24 | 133 | 3192 |
| 25 | Measuring scoops | 2 | 500 | 1000 |
| 26 | Napkins | 26 | 83 | 2158 |
| 27 | Glass bowls | 30 | 50 | 1500 |
| 28 | Tea strainer | 6 | 30 | 180 |
| 29 | Egg beater | 6 | 50 | 300 |
| 30 | Microwave with appropriate cooking vessels | 1 | 15000 | 15000 |
| 31 | Dinner set(12 person) | 2 | 4000 | 8000 |
| 32 | Tea set (12 person ) | 2 | 1000 | 2000 |
| **Total Cost In Rs-** | | **317** | **46664** | **129516** |

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

राजकीय मेडिकल कालेज , आगरा-

| IV: COMPUTER LABORATORY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **S.No.** | **Items** | | | |
| | | **Requirement** | **Approximate Unit wise Cost ( In Rs.)** | **Approx. Total cost ( In Rs.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 |
| 1 | Computers (PC) with latest configuration and shluld be on Local Area Network | 5 | 60000 | 300000 |
| 7 | Laser Printer | 5 | 20000 | 100000 |
| | Statistical Package | | 5000 | 5000 |
| | Hospital Managaement System | | 20000 | 20000 |
| | and any health science literature data base that include nursing such as CINAHL plus, MEDLINE, PUBMED, EBSCO, OVID, etc. | | 20000 | 20000 |
| **TOTAL** | | **10** | **125000** | **445000** |

कालेज आफ नर्सिंग मेडिकल कालेज , कैम्पस कानपुर।

**COLLEGE OF NURSING, MEDICAL COLLEGE CAMPUS, KANPUR**
**COMPUTER LABORATORY**

| **S.No.** | **Items** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Requirement** | **Cost** | **Approx. cost** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 2 | Laser Printer | 5 | 20000 | 100000 |
| | **Total** | **5** | **20000** | **100000** |

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in